

## PUBLIC NOTICE

Whereas, M/s. Tulip Infratech Pvt.Ltd. (the Developer) is in the process of undertaking the development of a Group Housing Colony in Sector 69-70, Gurugram over an area measuring 25.44 acres in accordance with the provisions of Licence no. 78 of 2010 dated 15.10.2010, granted by Director General, Town and Country Planning, Haryana, Chandigarh.

And whereas, several individuals have made bookings/ entered into flat buyer agreement for allotment of flat/ property in the said colony (hereinafter referred as allottees). And, whereas, the building plans earlier approved for the said colony are now proposed to be revised.

And whereas, the office of Director General, Town and Country Planning, Haryana, Chandigarh has required seeking of objection against the revision of said building plans.

Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees in said colony on the proposed revision of the building plan of said colony. A copy of the earlier building plan approved vide memo no. ZP-663/SD(BS)/2015/12616, Dated 15.07.2015 and the revised building plans approved in-principle vide Memo. No. ZP-663/AD(RA)/2020/2799 Dated 04.02.2021 is available for perusal on our website ([www.tulipgroup.in](http://www.tulipgroup.in)) and at the office of undersigned at Tulip Infratech Pvt. Ltd 76-G, Sector-18, Gurugram as well as in the office of Senior Town Planner, Gurugram.

Any allottee having any objection on revised building plans, may file his objection in the office of Senior Town Planner, Sector 14, Gurugram within 30 days of publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revision in the building plans.

Place : Gurugram

Sr. Manager- Commercial

Dated: 09.02.2021

For, Tulip Infratech Pvt. Ltd.

Size: 8cm(w)x10cm(h)

## सार्वजनिक सूचना

जबकि, मैसर्स ट्यूलिप इन्फ्राटेक प्रा. लि. ( डेवलपर) महानिदेशक, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा मंजूर किए गए लाइसेन्स नंबर 78 वर्ष 2010 दिनांकित 15.10.2010 के प्रावधानों के अनुसार सेक्टर 69-70, गुरुग्राम में 25.44 एकड़ परिमाण क्षेत्रफल में ग्रुप हाउसिंग कालोनी का विकास प्रारंभ करने की प्रक्रिया में है।

और जबकि, अनेक व्यक्ति ( इसमें आगे आवंटी कहे गए हैं) उक्त कालोनी में फ्लैट/ सम्पत्ति के आवंटन हेतु फ्लैट बॉयर अनुबंध निष्पादित कर चुके हैं। और जबकि, उक्त कालोनी हेतु पहले मंजूर की जा चुकी भवन निर्माण योजनाओं में अब संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

और जबकि, महानिदेशक, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ के कार्यालय द्वारा उक्त भवन निर्माण योजनाओं के संशोधन के संबंध में आपत्तियां मांगने की अपेक्षा की गई है।

तदनुसार, इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से एतद्वारा उक्त कालोनियों में आवंटियों से उक्त कालोनी की भवन निर्माण योजना के प्रस्तावित संशोधन के संबंध में आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। मेमो संख्या जैडपी-663/एसडी(बीएस)/2015/12616 दिनांकित 15.07.2015 द्वारा मंजूर की गई भवन निर्माण योजना की प्रति और अब प्रस्तावित संशोधित भवन निर्माण योजना से संबंधित ड्राईंग मेमो संख्या जैडपी-663/एडी(आरए)/2020/2799 दिनांकित 04.02.2021 हमारी वेबसाइट ([www.tulipgroup.in](http://www.tulipgroup.in)) और अधोहस्ताक्षरी के ट्यूलिप इन्फ्राटेक प्रा. लि., 76-जी, सेक्टर-18, गुरुग्राम कार्यालय और सीनियर टाउन प्लानर, गुरुग्राम के कार्यालय में भी ध्यानपूर्वक अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

कोई भी आवंटी, जिसको संशोधित भवन निर्माण योजनाओं पर कोई आपत्ति है, अपनी आपत्ति सीनियर टाउन प्लानर, सेक्टर-14, गुरुग्राम के कार्यालय में, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें असफल रहने पर यह माना जाएगा कि भवन निर्माण योजनाओं में प्रस्तावित संशोधन पर कोई आपत्तियां नहीं हैं।

स्थान : गुरुग्राम

वरिष्ठ प्रबंधक- व्यावसायिक

दिनांक: 09.02.2021

वास्ते, ट्यूलिप इन्फ्राटेक प्रा. लि.

Size: 8cm(w)x10cm(h)